

(डिक्री व मुकदमा इत्दायी)
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत संदीप चौधरी, आर0 ए0 एस0

बइजलास : उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़, झुंझुनूं (राजस्थान)

प्रभुसिंह बनाम बृजुसिंह वगै०

दावा बाबत:- दावा बाबत घोषणा एवं विभाजन

मुकदमा नंबर :-378

सन :- 2013

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल रूबरू संदीप चौधरी, आर0 ए0 एस0 व हाजरी श्री रामेश्वरदयाल एड. मनजानिब मुददइ श्री सुरेश कुमार दानोदिया एड..... मनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि -

वाद वादी मुताबिक विभाजन अंतिम डिक्री किया जाकर विवादित भूमि ख.नं. 39 व 40 वाके मौजा चान्दुसिंहपुरा का विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू.अ./22/369 दिनांक 16.02.2022 में अंकितानुसार पक्षकारान को अलग अलग खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा।

नीजमुबालिगबाबतखर्चा इस मुकदमें के मय सद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख बसूलयाबी तक.....को अदा करें। वरवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 29.06.2022 को जारी।

मुहर

दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़
ओहदा

मुददई	रूपया	मुददायलह	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील पर	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमीशनर	
फीस कमीशनर		बाबत इजराय हुक्मनामा	
बबत इजराय हुक्मनामा		मुतफरिक	